श्री मलचन्द डागा: ग्रध्यक्ष महोदय, मत्नी महोदय ने अपने प्रश्न के जनाब में कहा है कि नहीं, नहीं। बिदेश मंत्रालय की 1980-81 को रिपोर्ट में लिखा है कि :---

"Another proposal to set up a Manpower Corporation in the private sector at the Central level to assist Indian jobseekers in obtaining jobs abroad is also under active consideration of the Government. These proposals bringing the activities of unscrupulous recruiting agenices under an effective regulatory control."

विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में लिखा हुग्राहै कि:—

"It is under the active consideration of the Labour Department to set up a Man-Power Export Corporation."

He now said 'no, no'.

मैं या यह जानना वाहता हूं जिम्मेदारी किस की है ?

र्थः भागवत झा ग्राजादः ग्रध्यक्ष महोदय, नहीं, नहीं जो मैंने कहा है, यह बहुत प्रानी बात हो गई है। उसके बाद मैंने दो प्रश्नों का जवाब दिया है। उस प्रक्त के जवाब के बाद हम काफी आगे चले श्राए हैं। मैंने यह कहा है कि कारपोरेशन सरकारी स्तर पर स्थापित करने की ग्रावश्यकता ग्रभी महसूस नहीं की जा रही है। लेकिन जो कृष्णा साहब ने प्रान पूछा कि ग्रगर श्राप नहीं चाहते हैं तो म्राल्टरनेटिव क्या है तो मैंने विकल्प बताया कि सरकार चाहती हैं कि विभिन्न चार कार्पोरेशन्स हैं ग्रीर हम जो प्रस्ताव ला रहे हैं, एमीग्रेशन विधेयक में उसमें सरकार के लिए पावर्स लेना चाहते हैं कि किस तरह से प्राइवेट एजेन्सीज को कन्द्रोल किया जाए, उसमें हम इन दोनों का समन्वय करेंगे-यह हमने बताया है।

DR. KARAN SINGH: Sir, it is a good thing that Government is thinking in terms of trying to regulate the export of manpower but, Sir, when people go abroad they also learn certain new skills and

capabilities and ultimately they return back to the country. It is not a simple export. So, in their whole planning process is the Government also considering how these people when they return back to the country their additional capabilities and skills can be utilised for national development?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, one of the three important references made to the Working Group which we have constituted is to locate employment avenues for the rehabilitation of migrants returning from abroad for the effective utilisation of their skills and experience which they had gained in foreign countries.

श्री कमला मिश्र मध्कर : ग्रध्यक्ष महोदय शायद मंत्री जी को मालूम ही है। कि हमारे देश का जनबल निर्यात होता है। उसमें भारी लुट मची हुई है। ग्ररब कन्दीज को जो जनबल जाता है उसमें प्रति व्यक्ति 15-15 हजार रुपया पास-पोर्ट इत्यादि के नाम पर वसूल किया जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हुं कि इन बातों की रोक-थाम के लिए कौन से प्रभावकारी कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री भागवत सा ग्राजाद: ग्रभी ग्रभी मैंने एक प्रक्त के जबाव में बताया है कि ऐसी एजेन्सीज पकडी गई हैं जिनपर कार्यवाही हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रेग्युलेटरी पावर्स अधिक नहीं ले सकते हैं इसलिए हम बिल लान। चाहते हैं जिसमें सरकार शक्ति करेगी ग्रौर उनका दमन करेगी।

Pension and other Amenities for Agricultural Workers

*331. SHRI CHITTA MAHATA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to give pension and other basic amenities for agricultural workers after they attain the age of 50 years or when they become ineffective in working;

- (b) if so, the details thereof; and
- (c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI DHAR-MAVIR): (a) to (c). No, Sir. The question of giving pension and other amenities for agricultural workers cannot be viewed in isolation from the general question of providing such facilities to all categories of workers. Given the magnitudes involved and the resources position, it is not possible to consider such a comprehensive proposal.

However, most of the States and Union Territories now have old age pension schemes through which a pension usually ranging from Rs. 30 to Rs. 60 per month is given to destitute old person 60 to 65 years and above without any means of support.

श्री चिस महाटा: ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बतलाया है कि कुछ राज्यों में 60-65 की उम्र के लोगों को, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, स्रोल्ड-एज पेन्शन दी जाती है लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। मंत्री जी को मालूम है कि खेतिहर मजदूर श्रौर छोटे छोटे किसान भ्रपना खन-पसीना बहाकर हमारे लिए अन्न उपजाते हैं लेकिन उनको फिर भी दो जुन की रोटी नहीं मिलती है। वे लोग श्राज तक कष्ट भोगते चले श्रा रहे हैं भ्रौर उनके कल्याण के लिए भ्राज तक सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया है। दूसरी श्रोर सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक धण्डरटेकिंग्ज के कर्मचारियों, मजदूरों एवं संसद सदस्यों को भी पेन्शन दी जा रही है फिर खेतिहर मजदूरों ने क्या कुसूर किया है कि उनको इसमें वंचित रखा गया है ? इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार भविष्य में बितिहर मजदूरों

को पेंशन देने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो उसके लिए कितनी राशि व्यय की जायेगी।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत **स**। ग्राजाद) : यह बात सही है कि ग्राज हमारे देश में जो ग्रसंगठित मजदूर हैं वे सबसे नीचे के स्तर पर हैं। संगठित श्रमिकों को भी संगठित मैजदूरों की स्थिति पर लाने के सम्बन्ध में हमने एक निर्णय लिया है जिसको लागु भी कर दिया है ग्रीर हम चाहते हैं कि उसका ठीक तरह से कार्यान्वयन हो। न्युनतम मजदूरी कानून, 1948 के ग्रन्तर्गत हमने विभिन्न सरकारों पर इस बात के लिये जोर दिया। बहुत सी सरकारों ने इस सम्बन्ध में संशोधन कर दिया है ग्रीर बहुत सी कर रही हैं। पहले मिनिमम वेज कानुन के ग्रन्तर्गत रिवीजन 5 वर्ष के बाद था, लेकिन ग्रब लेबर मिनिस्टर्स कान्फरेन्स ने निर्णय किया है कि 50 प्वाइन्ट होने के बाद या 2 वर्ष में एक बार उसमें संशोधन किया जाय । यह संशोधन ग्रधिक राज्यों ने कर लिया है लेकिन कुछ ने इस से डेविएट किया है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है प्राबल्म के मैगनीचूड को देखते हुए यह सम्भव नहीं है कि हर श्रमिक मजदूर के लिये भारत सरकार पेन्शन व्यवस्था करे, मगर उसको किस प्रकार किया जाय इसके लिये एप्रोप्रियेट गवर्नमेंट राज्य सरकारें हैं। उन में से बहुतों ने केवल डेस्टीच्ट्स के लिये नहीं, बल्कि श्रमिक मजदूरों के लिये भी ग्रपने यहां पेन्शन की व्यवस्था की है। मैं उदाहरण सिर्फ एक ही देता हूं—सोशल सिक्योरिटी पेन्शन स्कीम बिहार सरकार ने लेण्डलेस लेबर के लिये ही नहीं बल्कि जिन के पास एक एकड़ जमीन है, जो प्लेन में बालू वाली जमीन है, उन के लिये भी व्यवस्था की है। इसके 200 A PROMETE WAS A PROPERTY अन्तर्गत बिहार सरकार 72 करोड़ रुपय 21 लाख लोगों को एक वर्ष में दे रही है।

इस लिये हम चाहते हैं कि न्यूनतम वेतन लागू कर के विभिन्न योजनाम्रों के अन्तर्गत श्रमिक मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया जाय तथा राज्य सरकारों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे ग्रपनी सीमा के श्रन्तर्गत इस पर विचार करें।

श्री चित्त महाटा : मंत्री महोदय ने न्युनतम वेतन के बारे में बतलाया लेकिन एक कठिनाई यह है कि मजदूरों को वर्ष में 50 दिन काम मिलता है उनको 365 दिन काम मिले इस के बारे में ग्राप क्या व्यवस्था करेंगे ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ग्रापने किन-किन राज्यों से भ्रांकड़ें मंगाये हैं तथा उनके यहां पेन्शन पर कितना रुपया खर्च होगा स्टेट वाइज बतलायें ?

श्री मागवत सा ग्राजाद : यह सही है कि यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि श्रमिक मजदूरों को साल भर तक नौकरी नहीं मिलती है । कहीं पर 6 महीने, कहीं 7 महीने, कहीं 3 महीने ही काम मिलता है। हमारी कई योजनाम्रों के ग्रन्तर्गत बहुत सी स्कीमें चल रही हैं जैसे रूरल डवेलपमेंट इन्टीग्रेटेड, सड़क बनाना, मछली पालन, ग्रादि, इनमें काम दे कर उन की बेरोजगारी को किसी हद तक दूर किया जा सकता है।

जहां तक पेन्शन वाली बात है, यदि राज्य के ब्यौरेवार पढ़्ंगा तो में काफी वक्त लगेगा । मैं को सदन में रख दूंगा कि कहां पर वह लागु है ग्रीर कितनी पेन्शन वे लोगों को देते हैं।

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: The information may be laid on the Table of the House.

श्री गिरघारी लाल ब्यासः राज्य सरकारों ने जो योजना बनाई है उस में 65 वर्ष की ग्रायु पर दी जाती है। क्या भारत सरकार राज्य सरकारों को इस प्रकार की सलाह देगी कि वे ग्रायु को घटा कर 50 वर्ष **कर** दें तथा जिस प्रकार बिहार में सिक्योारटी पेन्शन मुर्कारर कर रखी है उसी तरीके से जमीन या ग्रौलाद के सम्बन्ध में जो रोक लगा रखी है उस रोक को हटा कर 50 वर्ष की श्रायु ट्ट में पेन्शन मिल सके, इस प्रकार की सलाह देंगे

श्री भागतव हा भ्राजाव : ग्राप ने दो सुझाव दिये हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं, इन पर विचार किया जा सकता

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मत्नी जी ने मजदूरों की दशा को सुघारने के लिए बहुत सी बातें कहीं हैं उन के लिए मैं ग्राप को धन्य-वाद देता हूं । इसी सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि खेतिहर मज-दूरों की दशा को सुधारने के लिए रेल मंत्रालय की काफी जमीन पड़ी हुई है तथा ग्रन्य स्थानों पर भी काफी सरकारी जमीन खाली पड़ी रहती है...

ग्रध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस में नहीं स्नाता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ः इस में ग्राता है, ग्राप हमारी बात सुनिये। इन सब जमीनों के बारे में प्रायः श्रादेश भी हैं क वे स त-हर मजदूरों को दी जायेंगी।

ग्रध्यकं महोदय: इस में यह प्रश्न नहीं म्राता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:

कुछ उन को बैंकों से लोन मिलता है।

ग्रामीण विकास बैंक ग्रौर समाज कल्याण

विभाग वगैरह उन को ये सुविधायें
देते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से

यह पूछना चाहता हूं कि क्या समयसमय पर ग्राप इन बैंकों से ग्रथवा रेल

मंत्रालय से ग्रथवा राज्य सरकारों से

कोई विवरण प्राप्त करते रहते हैं कि

खेतिहर मजदूरों को जो सुविधायें दी

जा रही हैं, वे ठीक तरीके से दी जा

रही हैं या नहीं?

श्री भागवत हो। ग्राजाद : ग्रध्यक्ष महोदय, भ्राप ने ठीक ही कहा कि पहले प्रश्न का मुझ से सम्बन्ध नहीं है श्रीर रेल मंत्रालय इस का जवाब दे सकता है लेकिन बाकी के जो दो प्रश्न हैं कि ऐंसे मजदूर जो बेरोजगारी के वक्त में कुछ काम करना चाहते हैं ग्रीर ग्रभी जो बैंकों ने दर घोषित की है कम रेट पर ऋण देने के लिए, उस के लिए ग्रौर राज्य सरकारें जो समय-समय पर उन को सुविधायें देती हैं इन्टेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम में, दूसरी डेवलपमेंट स्कीमों में ग्रौर खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड द्वारा लाइव-स्टाक प्रोग्राम के ग्रन्तर्गत, इन सब सुवि-धात्रों के बारे में हम समय-समय पर लिखते रहते हैं ग्रौर हाल ही में मैं ने एक पत्न राज्य सरकारों को लिखा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: भूमि के बारे में मैंने पूछा था कि क्या ग्राप रेल मंत्रालय से कभी जांच करते हैं, ग्राप कभी उन से इस बारे में पूछते हैं।

ग्राध्यक्ष महोदय: इस का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। SHRI RAJESH PILOT: Is it a fact that some of the State Governments have proposed old age pension to the farmers and the agricultural labourers, and they have asked for Central assistance? It so, what are the names of those States. Further, all categories of workers are coveredby the increase in price index. If the price index goes up, they get an increment regularly, but the agricultural labourers are not covered by that. What is the reaction of the Government towards this? Is it not a fact that the agricultural labourer gets isolated?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: He needs a notice for this.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I do not need a notice for that.

MR. SPEAKER: Have you got a brief for him?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: As I gave an example of the social security pension scheme of the State of Bihar, similarly, there are certain other Governments which have got some schemes. The Maha_ rashtra Government, for example, has got the Employment Guarantee Board. Such programmes are there in certain States. We cannot give pension from the Central level to such a large number of old people in the country; they are about 5 crores according to the 1981 census. We are trying to compensate them and are asking the State Governments to help them. through the social security pension programme and other pension schemes. We are trying to organise them through the voluntary organisers at the block level. About eight Governments have agreed to this programme, and we are trying to give them assistance from our side.

It is true that whereas the increase in price index is linked to the wages of the organised labour it is not linked to the wages of the unorganised labour. This is an important question. At present, we are revising their wages every two years, or at 50-point increase; that is what the Labour Ministers' Conference has decided. This is an important point which we would like to discuss at the Labour Minis-

ters Conference, and see whether it is possible to link the wages of agricultural labourers also to this.

MR. SPEAKER: There should be no discrimination between labour and labour.

श्री राम नगीना मिश्रः में ब्राप के माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हुं कि ग्रभी जो प्रश्न उठा है वह यह है कि 50 साल से ऊपर के जो लोग गांवों में रहने वाले हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, उन को ग्रपनी जीविका के लिए पेंशन दी जाए लेकिन मैं तो यह देखता हं कि 50 साल नहीं बल्कि 12 साल से ले कर 70 साल तक के लोगों को जोकि गांवों में रहते हैं, ग्रगर सिर्फ शासन की तरफ से यह हो जाए कि उन को काम मिलेगा, शासन की तरफ से काम की गारन्टी हो जाए, केवल उन को मजदूरी ीमल जाए, तो यह उन के लिए स्वर्ग बन जाएगा । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे गांवों में रहने वाले हजारों, करोडों ऐसे नौजवानों के लिए काम की व्यवस्था करेंगे जिन को काम नहीं मिलता ग्रीर जो काम की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते हैं ? क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे जिससे उन को काम की गारन्टी मिल जाए श्रौर श्रगर काम न मिल सके, तो क्या कोई ऐसा जरिया भ्रपनाया जाएगा, जिस से उन को रोटी मिल सके।

श्री भागवत हो। ग्राजाव : महोदय, इन्होंने उन लोगों की बात कही है, जो बेरोजगार हैं। उन के लिए भी मेरा वही जवाब है, कि बहुत सी ऐसी स्कीमें चल रही हैं, बहुत सी योजनायें देहातों में चल रही हैं, जिन के ग्रन्तर्गत उन को काम दिया जा सकता है।

जहां तक श्रमिक मजदूरों का प्रश्न है, मैं ने इस प्रश्न का उत्तर विस्तार में दे दिया है।

Shortage of cement in Kerala

*332. PROF. P. J. KURIEN: SHRI G. M. BANATWALLA.

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

- (a) whether Government are aware that construction and developmental works in Kerala are at standstill due to non-availability of cement;
- (b) whether Government of Kerala have requested to increase the quota of cement to the State; and
 - (c) if so, Governments reaction?

THE MINISTER OF STATE IN THE INDUSTRY AND MINISTRIES OF STEEL AND MINES (SHRI CHARAN-JIT CHANANA) (a): There is a general scarcity of cement in the country and to this extent, it is possible that construction and developmental works in Kerala might have been affected due to cement shortage.

- (b) Government of Kerala have quested for an increase in their quarterly allocation of cement from 1.69 lakh tonnes to 5.00 lakh tonnes.
- (c) Allocation of levy cement to the State Governments including Kerala will be made in the context of the new policy effective from 28th February 1982.

PROF. P. J. KURIEN: Sir, I am very sorry to say that the Minister has given an evasive answer to my question. It appears that there is not only dearth of cement but also the dearth of heads his department and that his department is not capable of collecting sufficient material.

My specific question is on the fact that in Kerala deevlopmental works, irrigation works, public works, all are at a standstill because of the shortage of cement. I have specifically asked the Minister whether his Ministry is aware of that fact. But he has not answered that.

Secondly, I have asked him whether the Government of Kerala has asked for a special increase of cement quota to Kerala. That also he has not answered.